

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं०संख्या-ल०ज०स०/न०क्र०/प्र०स्वीकृति के विरुद्ध आवंटन-18/2026-

183

पटना, दिनांक-

19/07/26

प्रेषक,

संगीता सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

E-Mail

कार्यपालक अभियन्ता,

लघु सिंचाई प्रमण्डल, अररिया/अरवल/औरंगाबाद/बेगूसराय/भागलपुर/आरा,भोजपुर/बक्सर/दरभंगा/
गया जी/गोपालगंज/जहानाबाद/कैमूर,मोहनियाँ/कटिहार/ खगड़िया/लखीसराय/ मधेपुरा/मधुबनी/
मुंगेर/मुजफ्फरपुर/नालंदा/नवादा/बेतिया/पटना/मोतिहारी/पूर्णियाँ/रोहतास,सासाराम/सहरसा/समस्तीपुर
/छपरा, सारण/शेखपुरा/ सीतामढ़ी/सिवान/सुपौल/ हाजीपुर ।

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत राज्य नलकूप योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु CFMS-2.0 प्रणाली द्वारा निर्गत आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवंटन निर्गत किया गया है । जिसकी विवरणी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। विभागीय प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-4701 दिनांक-18.07.26 के आलोक में कुल-634 नलकूपों के लिए कुल आवंटन की राशि-490.338 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख तैतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र है । जिसकी विवरणी निम्नवत् है:-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	नलकूपों की संख्या	वर्तमान आवंटित राशि		कुल आवंटन
			50-2702031030104 (विषय शीर्ष-27.01)	50-2702037890101 (विषय शीर्ष-27.01)	
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	16	9.96834	1.89873	11.86707
2	अरवल	5	11.13847	2.12161	13.26008
3	औरंगाबाद	13	9.54944	1.81894	11.36838
4	बेगूसराय	6	6.11260	1.16430	7.27690
5	भागलपुर	6	6.80087	1.29540	8.09627
6	आरा, भोजपुर	44	28.10034	5.35245	33.45279
7	बक्सर	4	1.98518	0.37813	2.36331
8	दरभंगा	12	7.77845	1.48161	9.26006
9	गया जी	6	1.78493	0.33999	2.12492
10	गोपालगंज	44	27.96716	5.32708	33.29424
11	जहानाबाद	7	5.84527	1.11338	6.95865
12	कैमूर, मोहनियाँ	28	20.61348	3.92638	24.53986
13	कटिहार	5	3.89756	0.74239	4.63995
14	खगड़िया	15	5.40192	1.02894	6.43086
15	लखीसराय	19	13.78096	2.62495	16.40591
16	मधेपुरा	17	7.67637	1.46217	9.13854
17	मधुबनी	20	16.77081	3.19444	19.96525
18	मुंगेर	5	11.73538	2.23531	13.97069
19	मुजफ्फरपुर	44	37.95582	7.22968	45.18550
20	नालंदा	30	13.13664	2.50222	15.63886
21	नवादा	10	5.05008	0.96192	6.01200
22	बेतिया	4	1.86459	0.35516	2.21975
23	पटना	43	25.58378	4.87310	30.45688
24	मोतिहारी	4	2.61476	0.49805	3.11281
25	पूर्णियाँ	2	1.17879	0.22453	1.40332
26	रोहतास, सासाराम	4	3.01367	0.57403	3.58770
27	सहरसा	6	1.99095	0.37923	2.37018
28	समस्तीपुर	10	18.60275	3.54338	22.14613

29	छपरा, सारण	92	44.44048	8.46485	52.90533
30	शेखपुरा	14	10.14526	1.93243	12.07769
31	सीतामढ़ी	29	17.39787	3.31388	20.71175
32	सिवान	31	15.11050	2.87819	17.98869
33	सुपौल	2	0.84428	0.16082	1.00510
34	हाजीपुर	37	16.04617	3.05641	19.10258
योग:-		634	411.88392	78.45408	490.33800

2. आवंटित राशि का नियमानुसार शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व संबंधित कार्यपालक अभियंता का होगा।
3. आवंटित राशि का व्यय संबंधित योजनाओं में स्वीकृत राशि के अधीन ही किया जाय। जिन योजनाओं के निर्माण कार्य में हुई अनियमितता की जाँच चल रही हो, उसमें अंतिम निर्णय होने एवं विभाग से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान किया जाय।
4. आवंटित राशि बजट में उपबन्धित राशि के सीमाधीन हैं। बिहार वित्त नियमावली भाग-1 के नियम-342 के अनुसार पूर्व आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुये, एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराया जाये।
5. योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी पदाधिकारी बिहार लोक निर्माण लेखा संहिता के प्रावधानों तथा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में कार्य कराने के लिए जिम्मेवार होंगे।
6. आवंटित राशि का व्यय बिहार लोक निर्माण संहिता, बिहार कार्य लेखा संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली, बिहार कोषागार संहिता तथा समय-समय पर दिये गये विभागीय निदेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाय।
7. कार्य का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
8. आवंटित राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय। उतनी ही राशि की निकासी की जाय जितनी की तत्काल आवश्यकता हो। उक्त राशि का व्यय सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के उपरांत ही किया जाय।
9. व्यय प्रतिवेदन विभाग/महालेखाकार, बिहार, पटना को प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
10. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेगें। यदि आपके द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यों पर किये गये भुगतान की जबाबदेही आप की भी होगी।
11. संबंधित प्रमंडल को निदेशित किया जाता है कि नलकूप योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य में विभागीय संकल्प संख्या-175(न0को0) दिनांक-29.05.26 के संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन किया जाय।
12. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अपने परिक्षेत्राधीन क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे तथा स्थल निरीक्षण कर विहित प्रपत्र में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह विभाग को उपलब्ध करायेगें। यदि आपके द्वारा कार्यों का निरीक्षण नहीं किया जाता है तो कार्यों पर किये गये भुगतान की जबाबदेही आप की भी होगी।
13. आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान के रूप में संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
14. उक्त आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, अररिया/अरवल/ औरंगाबाद/ बेगूसराय/ भागलपुर/आरा, भोजपुर/ बक्सर/ दरभंगा/ गयाजी/ गोपालगंज/ जहानाबाद/कैमूर, मोहनियाँ/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मधुबनी/मुंगेर/मुजफ्फरपुर/नालंदा/नवादा/बेतिया/पटना/मोतिहारी/पूर्णियाँ/रोहतास, सासाराम/सहरसा/समस्तीपुर/छपरा, सारण/शेखपुरा/सीतामढ़ी/सिवान/सुपौल/ हाजीपुर होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/भागलपुर/ मुजफ्फरपुर होगा।

15. अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना संबंधित योजना एवं उक्त आवंटित राशि के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा क्रियान्वित हो रही योजनाओं का समय-समय पर अनुश्रवण करेंगे।
 16. राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
 17. उक्त आवंटन राशि के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन एवं विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
 18. उक्त आवंटन आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561 दिनांक-17/04/98 के आलोक में निर्गत किया गया है। उक्त वर्णित पत्र के आलोक में अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- अनुलग्नक:-634 नलकूपों के लिए कुल-490.338 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख तैतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र।

विश्वासभाजन

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

183

पटना, दिनांक- 19/07/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/अभियंता प्रमुख/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल/अधीक्षण अभियंता(मु0) अनुश्रवण/आई0टी0 मैनेजर, आई0टी0कोषांग को विभागीय वेबसाइट पर आवंटन अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक:-634 नलकूपों के लिए कुल-490.338 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख तैतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-

183

पटना, दिनांक- 19/07/26

E-Mail

प्रतिलिपि:-संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ महालेखाकार, बिहार, पटना/तकनीकी प्रभारी, नलकूप कोषांग/प्रोगामर, नलकूप कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:-634 नलकूपों के लिए कुल-490.338 लाख (चार करोड़ नब्बे लाख तैतीस हजार आठ सौ) रुपये मात्र।

सरकार के अपर सचिव

38